दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

सन्दर्भ सं0: 1127 /ओ0ए0 सं0–746/2023(सलीम)/2024 दिनांक : 19 .02.2024

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Subject :-<u>Factual and Action taken report in compliance of order dated 02-02-2022 in OA No. 746/2023 Salim vs Ministry of Environment Forest and Climate Change and Ors.</u>

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"………3. Submission of learned Counsel for the Applicant is that slaughter house is located in the residential area in the midst of the City and that for violation of norms and violation of the CTO, only a meager compensation of Rs. 6 lakhs has been imposed. He has referred to page 83 of the paper book and has submitted that Respondent No. 13 has been found to be a water polluting industry is discharging effluent having BOD of 34 mg/l and COD of 264 mg/l directly or through its tributaries into river Hindon. He has also referred to paragraph 29 of the OA and has submitted that the conditions of CTO have been violated.

4. The OA raises substantial issue relating to compliance of the Scheduled enactments.

5. Hence, we direct issuance of notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service on or before the next date of hearing.

Accordingly a action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Encl. : As above.

Your faithfully,

(Dr Yogender Kumar)
Regional Officer

Ref. No. and Date as above.

Copy to :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Saharanpur.
3. CEO-3, UP Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Action Taken Report in compliance of Order dated 02.01.2024 passed by Hon'ble NGT in OA No. 746/2023 2023 (I.A. No. 874/2023 & I.A. No. 875/2023) Salim Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors.	
2.	**Annexure-1**, Show Cause Notice	
3.	**Annexure-2**, Closure Direction	
4.	**Annexure- 3**, Compliance of Sealing	

Action Taken Report In Reference To The Hon'ble NGT Order Dated 02.01.2024, In The Matter Of Original Application No. 746/2023 2023 (I.A. No. 874/2023 & I.A. No. 875/2023) Salim Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors.

Hon'ble NGT has passed an order dated 02.01.2024 in Original Application No. 746/2023 2023 (I.A. No. 874/2023 & I.A. No. 875/2023) Salim Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors. The operative portion of the order is as under:-

"………3. Submission of learned Counsel for the Applicant is that slaughter house is located in the residential area in the midst of the City and that for violation of norms and violation of the CTO, only a meager compensation of Rs. 6 lakhs has been imposed. He has referred to page 83 of the paper book and has submitted that Respondent No. 13 has been found to be a water polluting industry is discharging effluent having BOD of 34 mg/l and COD of 264 mg/l directly or through its tributaries into river Hindon. He has also referred to paragraph 29 of the OA and has submitted that the conditions of CTO have been violated.

4. The OA raises substantial issue relating to compliance of the Scheduled enactments.

5. Hence, we direct issuance of notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service on or before the next date of hearing.

6. Respondent No. 4, UPPCB is directed to file the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

The action taken report in compliance of the Hon'ble NGT order dated-02.01.2024 is as follows;

1. That, a show cause notice to the M/s Pashuvadhshala Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 on 21.07.2023 was issued on the recommendation of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board. The copy of the Show Cause Notice is enclosed and annexed as **Annexure-1.**
2. That, in response to the show cause notice a reply has been submitted by the operator/Contactor vide letter dated-09.08.2023. The slaughter house was

inspected by Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Saharanpur on 06.01.2024. During inspection it was found that the Slaughter House M/s Pashuvadhshala Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur is not complying with the directions of Show Cause Notice dated-21.07.2023.and various parameters in the effluent were found more than the prescribed effluent discharge norms.

3. That, U.P. Pollution Control Board issued closure direction against the M/s Pashuvadhshala Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 on 10.02.2024. The closure direction is enclosed and annexed as **Annexure-2.**
4. That, M/s Pashuvadhshala Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur was sealed by the District Administration and Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Saharanpur on 13.02.2024 in compliance of the closure direction issued by the U.P. Pollution Control Board. The compliance of sealing is enclosed and annexed as **Annexure-3.**

An Action taken report is being submitted for perusal and necessary action please.

(Mahendra Singh) J.E.	(N.M. Tripathi) A.S.O.	(Dr. Yogendra Kumar) Regional Officer

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H90047 /सी–3/ जल 122 /सप्र.-2 दिनांक 21/7/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, सहारनपुर,
कमेला कॉलोनी,
सहारनपुर।

यह कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर जोकि भैंस/भैंसा की स्लाटरिंग हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत हैं, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर, कमेला कॉलोनी, सहारपुर का बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 का रख–रखाव एवं संचालन सतोषजनक नहीं पाया गया। प्राइमरी क्लेरीफायर, सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, ट्रसरी क्लेरीफायर एवं मल्टीग्रेड फील्टर पूर्णतः बन्द पाये गये। प्राइमरी क्लेरीफायर, की सतह पर स्लज पाया गया। उक्त के अतिरिक्त फ्लैश मिक्सिंग टैंक में केमिकल डोजिंग नहीं की जाती पायी गयी। आनलाईन उत्प्रवाह मानीटरिंग सिस्टम एवं फलोमीटर संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र के पश्चात निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0 34 मि0ग्रा0/ली0 एवं सी0ओ0डी0–264 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी, जो कि निर्धारित नानको से अधिक हैं। उद्योग से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण नगर निगम ड्रेन के माध्यम से ढमोला नदी में मिलता है जो कि अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता हैं एवं हिण्डन नदी की जलगुणता को प्रभावित करती है। पशुबधशाला द्वारा सी0पी0सी0बी0 द्वारा जारी "Revised comprenhensive Industry documentation of Slaugher House" का अनुपालन नहीं किया गया रहा है उद्योग का राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तो का उल्लंधन होता पाया गया।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर, के बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा निर्गत सहमति जल को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाए मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 एन0जी0जी0 द्वारा पारित आदेश के अनुकम मे सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजली के अनुसार उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 से पर्यावरणीय मानको का उल्लंघन मानते हुए रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा

संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

20/3/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन (1/2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, सहारनपुर।
5. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, सहारनपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

20/3/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

O/C

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ संख्या: H06818 /सी–3/जल 122/सहा०/2024 दिनाँक: 1/2/24

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 पशुवधशाला, नगर निगम, सहारनपुर,
कमेला कॉलोनी,
सहारनपुर।

यह कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर जोकि भैंस/भैसा की स्लाटरिंग हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या 98047/सी–3/जल–122/सहा0/2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.08.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पशुबधशाला नगर निगम में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट एवं ब्लडमील प्लांट संचालित नहीं पाया गया एवं लागबुक मेंटेन नहीं पायी गयी, जिससे पशुबध से जनित ठोस अपशिष्ट एवं ब्लड का अवैध निस्तारण किया जाना सम्भावित है। उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के पश्चात रिसाइकिल किये जाने व सिंचाई में प्रयोग किये जाने की व्यवस्था स्थापित नही है। पशुबधशाला इकाई के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की "Revised comprenhensive Industry documentation of Slaughter house" का एवं 24 कम्पेडियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एव इकाई के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त है। पशुबधशाला के द्वारा भू–जल दोहन हेतु उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पशुबधशाला के आस–पास गोदाम एवं आवासीय आबादी स्थित है। पशुबधशाला इकाई में पशु कटान की संख्या एवं पशुकूरता अधिनियम के अनुपालन का सत्यापन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहारनपुर एवं नगर निगम, सहारनपुर द्वारा किया जाता है।

उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रख–रखाव एवं संचालन संतोषजनक नही पाया गया। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की प्राईमरी क्लेरीफायर, सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, ट्रशरी क्लेरीफायर एवं मल्टीग्रेड फील्टर पूर्णतः बन्द पाये गये। उक्त के अतिरिक्त फ्लैश मिक्सिग टैंक में केमिकल डोजिग नहीं की जाती पायी गयी। निरीक्षण के दौरान एयरेशन टैंक–2 से नमूना लेकर फीजिकल वेरिफिकेशन किया गया। फीजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि एयरेशन टैंक–2 में एम0एल0एस0एस0 शून्य पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि पशुवधशाला के ई0टी0पी0 में बायोलोजिकल ट्रीटमेन्ट मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में अलग से जल मिलाकर डायल्यूट किया जा रहा है। ई0टी0पी0 पर डी0ए0एफ0 की स्थापना नही की गयी है। उक्त पशुवधशाला में पशुओं की स्लाटरिंग हेतु आधुनिक उपकरण स्थापित हैं। किन्तु निरीक्षण के दौरान आधुनिक स्लाटरिंग कक्ष प्रयोग में नही पाया गया। निरीक्षण के समय आनलाईन उत्प्रवाह मानिटरिंग सिस्टम एवं फ्लो मीटर संचालित नहीं पाया गया। सन्दर्भित पशुवधशाला को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल दिनांक–02.01.2020 की विशिष्ट शर्त सं0–19 एवं सहमति वायु दिनांक–27.12.2019 की विशिष्ट शर्त सं0–18 पर अंकित शर्त "The unit will submit purposal for shifting outside the populated area in a time bound manner within 03 months. के अनुपालन में उद्योग द्वारा समयबद्ध प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 06.01.2024 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान पशुवधशाला के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट, फाईनल आउटलेट एवं एयरेशन टैंक–2 का नमूना एकत्रण का कार्य किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालको का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। इकाई से जनित उत्प्रवाह को नगर निगम की नाली के माध्यम से ढमोला मे निस्तारित होता है। जोकि अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है। इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तो का उल्लंघन होता पाया गया।

यह कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0–746/2023 (आई0ए0नं0–874/2023 व आई0ए0नं0–875/2023) सलीम बनाम एम0ओ0ई0एफ0 एवं अन्य योजित है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–02.01.2024 को पारित आदेश के सुसंगत अंश "......... 3. Submission of learned Counsel for the Application is that slaughter house is located in the residential area in the midst of the City and that for violation of norms and violation of the CTO, only a meager compensation of Rs.6 lakhs has been imposed. He has referred to page 83 of the paper book and has submitted that Respondent No.13 has been found to be a water polluting industry is discharging effluent having BOD of 34 mg/l and COD of 264 mg/l directly or through its tributaries into river Hindon. He has also referred to paragraph 29 of the OA and has submitted that the conditions of CTO have been violated...." हैं। उक्त वाद मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के पत्र दिनांक 30.09.2023 एवं दिनांक 19.01.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.07.2023 की पुष्टि करते हुए, पशुबधशाला के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएवं जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाय।

(2)

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या एच 98047/सी–3/जल–122/2023 दिनांक 21.07.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किये जाते है।

1. यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) किया जाता है।
2. यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश क अनुकम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 08.08.2023 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल 63 दिवसो हेतु कुल रू0 6,30,000/–(छः लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या 701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 को UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भॉति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निरीक्षण दिनांक 09.08.2023 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, डिवीजन–1, 2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

O/C

Annexure-3

बन्दी आदेश का अनुपालन

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच06818/सी–3/जल 122/सहा0/2024 दिनांक–10.02.2024 के द्वारा मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम, सहारनपुर कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक–1107/बन्दी आदेश/पशुवधशाला/न0नि0सहा0/2024 दिनांक–12.02.2024 द्वारा समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा बन्दी आदेश के अनुपालन में आज दिनांक– 13-02-2024 को मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम, सहारनपुर कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी। मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम, सहारनपुर कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी की कार्यवाही के दौरान –

1. Lairage Gate
2. Knocking Box
3. Chiller Room

को सील किया गया।

पशुवधशाला प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर– [signature] 13/02/24 डा. संदीप कुमार सिंह, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम सहारनपुर

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर–

[signature] 13/02/2024
(महेन्द्र सिंह)
अवर अभियन्ता

[signature]
(बच्चन सिंह बुत्री)
S.S.I

[signature]
(डा० राजेन्द्र कुमार)
सिटी मजिस्ट्रेट